राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः एफ 6( )खावि/कम्प्यूटर/ई–मित्र/2018–19 दिनांक 01.04.2022

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग
आई.टी. भवन, जयपुर ।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत बजट घोषणा वर्ष 2022–2023 " खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गेंहूँ प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद, अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित है। ऐसे परिवारों को NFSA (National Food Securtiy Act) पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्व परिवारों को शामिल करते हुए, शेष छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग 10 लाख नये परिवार जोड़ने की मै, घोषणा करता हूँ ।"

अतः उक्त घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में पोर्टल खोला जाकर ई–मित्र के माध्यम से नवीन आवेदन पत्र भी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे । यह उललेखनीय है कि बजट घोषणा 2021–22 की क्रिया!न्विति के क्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार के माध्यम से ही दिये जाने है । इस संबंध में योजना भवन में दिनांक 30.03.2022 को बैठक आयोजित की गई थी जिसमें लिये गये निर्णयानुसार पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करते समय जन आधार कार्ड एवं आधार नम्बर की प्रविष्टि आवश्यक है, का विकल्प सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने का कार्य दिनांक 18.05.2020 को ई–मित्र के माध्यम आवेदन की प्रक्रिया आगामी आदेशों तक बन्द किया गया था। तदुपरान्त दिनांक 18.05.2020 तक के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है। अतः उक्त लम्बित प्रार्थना पत्रों में से स्वीकृत योग्य प्रार्थना पत्रों को भी जन आधार सीडिंग के पश्चात ही निस्तारण किया जावे ।

आपकी पोर्टल संबंधी अपडेशन की सूचना प्राप्त होने पर जिलों में प्रक्रिया को अविलम्ब शुरू किया जाना है । अतः इस कार्य को गम्भीरता से लेवे ।

(नवीन जैन)
शासन सचिव (खाद्य)

क्रमांकः एफ 6( )खावि/कम्प्यूटर/ई–मित्र/2018–19 दिनांक 01.04.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मान. केबिनेट/राज्य मंत्रीगण।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर।
9. जिला कलक्टर, समस्त जिले।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
12. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
16. जिला रसद अधिकारी, समस्त जिले।
17. उप/सहायक निदेशक, जिला कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले।
18. एस.ए./एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
19. संयुक्त निदेशक (ई–पीडीएस/ई–पॉस), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
20. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
21. उपखण्ड/विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
22. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
23. रक्षित पत्रावली।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त